


राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या :- 11, रायसिंहनगर
(न्यायालय:- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर)
जिला अनुपगढ न्यायक्षेत्र श्रीगंगानगर

फूलासिंह बनाम पालों आदि
प्रार्थना पत्र सं. 159 / 2022 जी.सी.एम.एस. : 2022 / 531
अन्तर्गत 212 आरटीएक्ट


13.07.2024

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश), श्रीगंगानगर द्वारा आदेश क्रमांक/एनएलए/2024/46 दिनांक 10.07.2024 के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु गठित की गई बैच सं. 11 के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रैफर किये जाने के परिणामस्वरूप आज यह पत्रावली लोक अदालत बैच के समक्ष पेश हुई।

प्रकरण में वकील प्राथी द्वारा दिनांक 13.07.2024 को उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा हो गया है, प्रकरण चलाना नहीं चाहते हैं। एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को इसी स्तर पर नोट प्रेस करने हेतु निवेदन किया गया है, जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बैच को निस्तारण हेतु रैफर की है। चूंकि प्रकरण में राजीनामा हो गया है, तथा प्रार्थी कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर नोट प्रेस करने की स्वीकृति दी जाकर प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है, तथा प्रकरण में पारित अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 02.11.2024 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली राजस्व न्यायालय को लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


डॉ. पवन कुमार विशनोई,
अति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायसिंहनगर
(अध्यक्ष)

लोक अदालत बैच सं. 11
राष्ट्रीय लोक अदालत बैच
रायसिंहनगर


अकिल मिश्रा
नायब तहसीलदार मुकलावा
तहसील रायसिंहनगर।
(सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत बैच
रायसिंहनगर

